

2009/00005

12/12/15 वकूफ करीब उपस्थित। जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। उस वार आवश्यक रूप से जवाब पेश करें एवं अदालत को कोर्ट अदा नही की है। आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली दिनांक 21/16 के पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
बसुदा (अजमेर)

12/21/16 वकील वादी जयें मिश्रा उपस्थित। प्रतिवादी वकील उपस्थित। जवाब हेतु कोर्ट अदा नही की गई। कोर्ट अदा करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। अथवा जवाब आउट आफ रिकॉर्ड किया जाएगा। पत्रावली दिनांक 21/16 के पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
बसुदा (अजमेर)

29/1/16 **अपराध (सजा)**
वकू. फरी. उप. / पी. ओ. साहव... अतः पत्रावली
वास्तु पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दि 30/5/16 का पेश हो।

30/5/16 **प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित / विपक्षी उपस्थित / अनुपस्थित / प्रकरण को लोक अदालत में रफ्तार हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत में रफ्तार किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 30/5/16 को लोक अदालत के सम्मुख उपस्थित हैं।**

उपखण्ड अधिकारी
बसुदा (अजमेर)

30/5/16 पत्रावली आज न्याय झापके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय प्रायतन पर पेश हुई पक्षकारण उपण। वादी पक्ष की ओर से दो सहमति पत्र इस आशय के पेश किये गये कि उक्तण में पक्षकारण में सहमति हो गया है। इसलिए आम सहमति पर वादीयागण वाद पत्र पर कौनो कार्यवाही चलाव नही चाहती है। सहमति पत्र अवलोकन किया गया जिस पर पहचान वादीगण के वकील द्वारा की गई है। सहमति पत्र स्वीकार योग्य है अतः अदालत पर स्थित जाते हैं तथा उक्तण पर कार्यवाही डोप की जाती है मिसल फौजल शुमार लेकर नम्बर से कम हो वाद पक्षतर गारिवल है।

[Signature]

[Signature]

